



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1768

दिनांक-28.09.2026

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत थाना- पारा क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

01- संक्षिप्त विवरण-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्या:- 123(20)/2026 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा- 03के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक- 28.09.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्रम संख्या	वाद संख्या	नामपता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिला बदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
पारा	1	123(20)/2026	धीरेन्द्र सिंह यादव पुत्र सुघर सिंह यादव नि0-ग्राम सूरजकला निकट सूरजकुण्ड मंदिर थाना पारा जनपद लखनऊ स्थायी पता-122 करनपुरा खेरा राठौर नगर आगरा उम्र 46 वर्ष।	1	45/2017	386/343/323/504/506/3 65/348/193/120बी भादवि	हसनगंज	06 माह
				2	84/2017	147/323/504/506/343/1 95/218/120बी/364ए/329 भादवि	ठाकुरगंज	
				3	85/2017	147/323/386/343/195/2 18/120बी/506/364ए/329 भादवि व 9/10 भ्रष्टाचार	ठाकुरगंज	
				4	12/2024	406 भादवि	हसनगंज	
				5	170/2023	147/323/342/386/364ए/ 395/201 भादवि	हसनगंज	



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1767

दिनांक-28.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

- जान से मारने की नीयत से युवक पर फायरिंग व लाठी-डंडे से हमला करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूस तथा 01 अदद डंडा बरामद।
- ठाकुरगंज पुलिस टीम को मिली सफलता।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.09.2026 को वादी शिवम चौरसिया पुत्र अरविन्द, निवासी मिश्रीबाग, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 27.09.2026 को समय करीब 13:30 बजे वादी का भाई सूरज चौरसिया अपने दोस्तों के साथ गौशाला रोड स्थित बगिया मंदिर के पास अपनी सेन्ट्रो कार सं-UP24AM2730 में बैठा था। उसी दौरान कलीम पुत्र अज्ञात, भूरे पुत्र अज्ञात एवं दो अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे तथा सूरज चौरसिया को जान से मारने की नीयत से दो राउंड फायर किए। इसके बाद हमलावरों ने सूरज को अकेला पाकर लाठी-डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।

उक्त सूचना के आधार पर थाना ठाकुरगंज पर मु०अ०सं०-630/2026 धारा 109(1)/115(2) बीएनएस बनाम कलीम, भूरे व दो अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण---

ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की तलाश, सुरागरसी-पतारसी, CCTV फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के संकलन तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 28.09.2026 को मूसाबाग खण्डहर प्रेरणास्थल के पास से घटना में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान भूरे उर्फ तैसीफ पुत्र अली हसन, निवासी ग्राम बैरागी खेड़ा, थाना बेनीगंज, जनपद हरदोई, हाल पता मछली मंडी के पीछे, यूनिटी कॉलेज, थाना दुबंगा, लखनऊ, उम्र करीब 22 वर्ष तथा मो० कलीम पुत्र सरदार अली, निवासी ग्राम गदिया खेड़ा, थाना रहीमाबाद, लखनऊ, हाल पता पुराना तोपखाना, बरी रोड, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ, उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई।

अभियुक्त भूरे उर्फ तैसीफ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस एवं 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त मो० कलीम की जामा तलाशी से एक अदद डंडा बरामद हुआ।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व सूरज चौरसिया का कलीम के साथ लड़ाई-झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों अभियुक्तों द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया।

अवैध तमंचा एवं कारतूस की बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)---

मु0अ0सं0-630/2026 धारा 109(1)/115(2) बीएनएस एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना ठाकुरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. भूरे उर्फ तैसीफ पुत्र अली हसन, निवासी ग्राम बैरागी खेड़ा, थाना बेनीगंज, जनपद हरदोई, हाल पता मछली मंडी के पीछे, यूनिटी कॉलेज, थाना दुबंगा, लखनऊ, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. मो0 कलीम पुत्र सरदार अली, निवासी ग्राम गदिया खेड़ा, थाना रहीमाबाद, जनपद लखनऊ, हाल पता पुराना तोपखाना, बरी रोड, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ, उम्र करीब 28 वर्ष।

05-बरामदगी का विवरण---

- एक अदद अवैध तमंचा 315 बोरा।
- एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोरा।
- एक अदद खोखा कारतूस 315 बोरा।
- एक अदद डंडा।

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान, थाना ठाकुरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री राज बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी आम्रपाली, थाना ठाकुरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री मुदित राय, चौकी प्रभारी भूहर, थाना ठाकुरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री शुभम सिंह, चौकी प्रभारी गऊघाट, थाना ठाकुरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. का0 अंशुल कुमार, थाना ठाकुरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
6. का0 दीप नारायण, थाना ठाकुरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
7. का0 बृजेश कुमार, थाना ठाकुरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1764

दिनांक- 28.09.2026

जोन- उत्तरी / थाना-रहीमाबाद

- थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया ।

01-कार्यवाही-

थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 28.09.2026 को प्रभारी निरीक्षक रहीमाबाद लखनऊ के कुशल नेतृत्व में माननीय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) लखनऊ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट वाद सं0 272/13, मु0अ0सं0 218/13 धारा 135 ई0सी0 एक्ट सम्बन्धित वारण्टी सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम खड़ौहा थाना रहीमाबाद लखनऊ तारीख पेशी 03.11.2026 को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए बाजाफ्ता बाकायदा हिरासत पुलिस में लिया ।

गिरफ्तारी की सूचना उ0नि0 द्वारा वारण्टी के पुत्र को मौके पर दी गयी। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया व हमराहियान से पालन करवाया गया । वारण्टी उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है ।

02. गिरफ्तार वारण्टी का विवरण:-

- 1- सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम खड़ौहा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

03.संबन्धित वाद –

वाद सं0 272/13, मु0अ0सं0 218/13 धारा 135 ई0सी0 एक्ट

04.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम –

- 01.उ0नि0 श्री करन सिंह थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
- 02.आरक्षी शीर्षपाल सिंह थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ
- 03.आरक्षी सिमित कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1779

दिनांक - 28.09.2026

क्राइम ब्रांच-आपरेशन डिजिटल कवच

- ऑपरेशन डिजिटल कवच के तहत साइबर ठगी की धनराशि के ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट्स के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने को लेकर जागरूकता अभियान।

01-संक्षिप्त विवरण-

साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन डिजिटल कवच” के तहत साइबर क्राइम पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों की वित्तीय जांच में साइबर ठगी की धनराशि के online gaming accounts/wallets के माध्यम से circulation का एक महत्वपूर्ण पैटर्न सामने आया है।

जांच में पाया जा रहा है कि साइबर अपराधियों द्वारा ठगी से प्राप्त बड़ी धनराशि को सीधे एक खाते में रखने के बजाय छोटी-छोटी रकम में विभाजित कर अनेक बैंक खातों तथा ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट्स/वॉलेट्स में ट्रांसफर किया जा रहा है। इस प्रकार धनराशि को कई स्तरों पर circulate कर उसके मूल स्रोत एवं अंतिम beneficiary तक पहुंच को जटिल बनाने का प्रयास किया जाता है।

हाल ही में दिनांक 25 सितंबर 2026 को लगभग ₹95.65 लाख की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में साइबर क्राइम थाना, लखनऊ में FIR पंजीकृत की गई जांच में सामने आया कि साइबर ठगों ने CBI एवं ED अधिकारी बनकर WhatsApp कॉल एवं वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने तथा गिरफ्तारी का भय दिखाकर धनराशि ट्रांसफर कराई।

इस मामले की financial investigation में लगभग ₹44 लाख की धनराशि को lien के माध्यम से सुरक्षित कराया गया। आगे के money trail में गुवाहाटी एवं रांची के दो primary accounts सामने आए, जिनसे धनराशि आगे 903 gaming accounts तक transfer होने का पता चला।

02-Online Gaming Accounts: Cyber Fraud Proceeds के Circulation का नया माध्यम

इस प्रकार के मामलों में सामने आ रहा है कि gaming accounts/wallets के माध्यम से छोटी-छोटी रकम को अनेक accounts में move किया जा सकता है, जिससे cyber fraud की रकम का financial trail कई स्तरों में बंट जाता है।

03-इसलिए नागरिकों को विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि—

- * अपने bank account/UPI को किसी अन्य व्यक्ति के gaming transactions के लिए उपलब्ध न कराएं।
- * किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर Gaming Account/Wallet में पैसे transfer न करें।
- * कमीशन, आसान कमाई या किसी अन्य लाभ के लालच में अपने खाते में पैसा लेकर आगे transfer न करें।
- * अपने बैंक खाते में प्राप्त किसी अनजान/संदिग्ध धनराशि को आगे किसी gaming account में transfer न करें।
- * किसी भी संदिग्ध transaction में UPI ID, account number, mobile number, transaction ID एवं screenshots सुरक्षित रखें।
- * यदि किसी व्यक्ति द्वारा आपके खाते को पैसे receive/transfer करने के लिए इस्तेमाल करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

लखनऊ पुलिस द्वारा ऐसे gaming accounts, bank accounts एवं digital transactions के financial और technical trail का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि cyber fraud proceeds के वास्तविक source और beneficiaries तक पहुंचा जा सके।

04-जनता से अपील

“ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर होने वाले किसी भी संदिग्ध *financial transaction* का हिस्सा न बनें। अपने बैंक खाते या UPI को किसी अन्य व्यक्ति की धनराशि को *receive* अथवा आगे *transfer* करने का माध्यम न बनने दें।

यदि आपके खाते में संदिग्ध धनराशि आती है अथवा आप साइबर ठगी का शिकार होते हैं, तो तुरंत 1930 पर सूचना दें”
- श्रीमती किरन यादव, *IPS ADCP Crime*



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1766

दिनांक-28.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- पारा

- हार्डवेयर व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार।
- घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित लोहे की बसुली (आला-कत्ल) तथा साक्ष्य मिटाने की मंशा से छिपाया गया CCTV DVR व Wi-Fi राउटर बरामद
- थाना पारा पुलिस टीम को मिली सफलता।

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 26.09.2026 की शाम थाना पारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भरोसा स्थित प्रकाश हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल्स दुकान के मालिक रामप्रकाश पुत्र स्व0 मैकूलाल पर दुकान के अंदर घुसकर लोहे की बसुली से जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। हमले में रामप्रकाश गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए थे, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस से लोकबन्धु अस्पताल तथा तत्पश्चात KGMU ट्रामा सेन्टर लखनऊ में उपचार हेतु भर्ती कराया गया।

घटना के सम्बन्ध में वादिनी श्रीमती कंचन कुरील की तहरीर के आधार पर थाना पारा पर मु0अ0सं0 677/2026 धारा 333/109(1)/351(3)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वादिनी एवं मजरूब रामप्रकाश के बयानों, फॉरेंसिक टीम (फील्ड यूनिट) द्वारा घटनास्थल से संकलित साक्ष्यों तथा तकनीकी एवं भौतिक विवेचना के आधार पर घटना में अभियुक्त जितेन्द्र रावत उर्फ बऊआ की संलिप्तता प्रकाश में आयी।

विवेचना में यह भी प्रकाश में आया कि घटना के बाद अभियुक्त द्वारा पुलिस से बचने एवं आपराधिक साक्ष्य मिटाने की नीयत से दुकान में लगे CCTV कैमरे का DVR एवं Wi-Fi राउटर निकालकर घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर डिघिया रोड स्थित झाड़ियों में छिपा दिया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 238 बीएनएस की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 28.09.2026 को थाना पारा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त जितेन्द्र रावत उर्फ बऊआ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित लोहे की बसुली (आला-कत्ल) तथा डिघिया रोड की झाड़ियों से CCTV DVR (CP PLUS) एवं Wi-Fi राउटर/ONT उपकरण (syRotech) बरामद किया गया।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि रामप्रकाश की हार्डवेयर की दुकान उसकी झोपड़ी के पास ही है। अभियुक्त के अनुसार रामप्रकाश द्वारा उसकी पत्नी के प्रति आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने से वह नाराज था। दिनांक 26.09.2026 की शाम पत्नी द्वारा पुनः इस संबंध में बताए जाने पर अभियुक्त गुस्से में रामप्रकाश की दुकान पर पहुंचा और दुकान में रखी लोहे की बसुली से उसके सिर एवं चेहरे पर वार कर दिया। रामप्रकाश के नीचे गिरने के बाद अभियुक्त ने बसुली वहीं छोड़ दी।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि दुकान से बाहर निकलते समय उसने CCTV कैमरा लगा देखा, जिसके बाद पुलिस से बचने एवं साक्ष्य मिटाने की नीयत से CCTV का DVR एवं Wi-Fi राउटर निकालकर डिघिया रोड स्थित झाड़ियों में छिपा दिया था।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01-जितेन्द्र रावत उर्फ बरुआ पुत्र स्व० राम पाल, निवासी ग्राम भरोसा, थाना पारा, लखनऊ, उम्र करीब 27 वर्ष।

04-बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद रक्तरंजित लोहे की बसुली (आला-कत्ल)।
2. एक अदद CCTV DVR, CP PLUS ब्रांड।
3. एक अदद Wi-Fi राउटर/ONT उपकरण, syRotech ब्रांड।

05-सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

01-मु०अ०सं०-677/2026, धारा-333/109(1)/351(3)/238 बीएनएस, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री सुरेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ०नि० श्री सुबे चन्द्र यादव, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ०नि० श्री अजय कुमार पटेल, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. हे०का० मो० नफीस, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1766

दिनांक-28.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- पारा

- हार्डवेयर व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार।
- घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित लोहे की बसुली (आला-कत्ल) तथा साक्ष्य मिटाने की मंशा से छिपाया गया CCTV DVR व Wi-Fi राउटर बरामद
- थाना पारा पुलिस टीम को मिली सफलता।

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 26.09.2026 की शाम थाना पारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भरोसा स्थित प्रकाश हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल्स दुकान के मालिक रामप्रकाश पुत्र स्व0 मैकूलाल पर दुकान के अंदर घुसकर लोहे की बसुली से जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। हमले में रामप्रकाश गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए थे, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस से लोकबन्धु अस्पताल तथा तत्पश्चात KGMU ट्रामा सेन्टर लखनऊ में उपचार हेतु भर्ती कराया गया।

घटना के सम्बन्ध में वादिनी श्रीमती कंचन कुरील की तहरीर के आधार पर थाना पारा पर मु0अ0सं0 677/2026 धारा 333/109(1)/351(3)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वादिनी एवं मजरूब रामप्रकाश के बयानों, फॉरेंसिक टीम (फील्ड यूनिट) द्वारा घटनास्थल से संकलित साक्ष्यों तथा तकनीकी एवं भौतिक विवेचना के आधार पर घटना में अभियुक्त जितेन्द्र रावत उर्फ बऊआ की संलिप्तता प्रकाश में आयी।

विवेचना में यह भी प्रकाश में आया कि घटना के बाद अभियुक्त द्वारा पुलिस से बचने एवं आपराधिक साक्ष्य मिटाने की नीयत से दुकान में लगे CCTV कैमरे का DVR एवं Wi-Fi राउटर निकालकर घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर डिघिया रोड स्थित झाड़ियों में छिपा दिया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 238 बीएनएस की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 28.09.2026 को थाना पारा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त जितेन्द्र रावत उर्फ बऊआ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित लोहे की बसुली (आला-कत्ल) तथा डिघिया रोड की झाड़ियों से CCTV DVR (CP PLUS) एवं Wi-Fi राउटर/ONT उपकरण (syRotech) बरामद किया गया।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि रामप्रकाश की हार्डवेयर की दुकान उसकी झोपड़ी के पास ही है। अभियुक्त के अनुसार रामप्रकाश द्वारा उसकी पत्नी के प्रति आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने से वह नाराज था। दिनांक 26.09.2026 की शाम पत्नी द्वारा पुनः इस संबंध में बताए जाने पर अभियुक्त गुस्से में रामप्रकाश की दुकान पर पहुंचा और दुकान में रखी लोहे की बसुली से उसके सिर एवं चेहरे पर वार कर दिया। रामप्रकाश के नीचे गिरने के बाद अभियुक्त ने बसुली वहीं छोड़ दी।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि दुकान से बाहर निकलते समय उसने CCTV कैमरा लगा देखा, जिसके बाद पुलिस से बचने एवं साक्ष्य मिटाने की नीयत से CCTV का DVR एवं Wi-Fi राउटर निकालकर डिघिया रोड स्थित झाड़ियों में छिपा दिया था।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01-जितेन्द्र रावत उर्फ बरुआ पुत्र स्व० राम पाल, निवासी ग्राम भरोसा, थाना पारा, लखनऊ, उम्र करीब 27 वर्ष।

04-बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद रक्तरंजित लोहे की बसुली (आला-कत्ल)।
2. एक अदद CCTV DVR, CP PLUS ब्रांड।
3. एक अदद Wi-Fi राउटर/ONT उपकरण, syRotech ब्रांड।

05-सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

01-मु०अ०सं०-677/2026, धारा-333/109(1)/351(3)/238 बीएनएस, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री सुरेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ०नि० श्री सुबे चन्द्र यादव, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ०नि० श्री अजय कुमार पटेल, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. हे०का० मो० नफीस, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1763

दिनांक- 28.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

- थाना निगोहाँ पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाना एवं गलत काम करने का आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष निगोहाँ श्री रवीन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.09.2026 को नाबालिक को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने एवं गलत काम करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.09.2026 को थाना निगोहाँ पर वादिनी मुकदमा द्वारा एक लिखित प्रा0पत्र दिया गया। जिसमें वादिनी की 15 वर्षीय नाबालिग बहन को अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र महादेव निवासी ग्राम बिन्दौवा थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निगोहां पर मु0अ0सं0-126/2026, धारा-87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अपहता की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्य एवं स्थानीय सूचना तंत्र की माध्यम से अपहता/पीडिता की सकुशल बरामदगी करते हुए अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त को आज दिनांक 28.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सुनील कुमार पुत्र महादेव निवासी ग्राम बिन्दौवा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 20 वर्ष।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-126/2026, धारा-87/137(2), 65(1) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना निगोहाँ लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना निगोहां पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1765

दिनांक-28.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा बकरी चोरी करने वाला 06 चोर/अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।
- अभियुक्तगण के कब्जे से 03 बकरियां व 3300/- रु. (बकरी विक्रय से प्राप्त) बरामद किया गया व घटना मे प्रयुक्त दो अदद चार पहिया वाहन बरामद ।

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा बकरी चोरी करने वाले 06 चोर/अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09/09/2026 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर का ताला तोड़कर 13 बकरियाँ चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे वादी श्री माता प्रसाद पुत्र स्व0 राम भरोसे निवासी ग्राम हुलासखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0- 339/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 26/09/2026 को अज्ञात चार पहिया वाहन पर सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 03 बकरियाँ चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे वादी श्री नन्दकिशोर पुत्र स्व0 अंगनू प्रसाद निवासी ग्राम भसण्डा थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0- 355/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

घटना के सफल अनावरण हेतु 03 पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज / टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभि0गण 01. चन्द्रप्रकाश, 02. शुभम, 03.अनस, 04. विकास, 05. गोलू, 06. अमन को को आज दिनांक-28.09.2026 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

03-पूछताछ विवरण एवं माड्यूस आपरेंडी:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि साहब, हम लोग स्विफ्ट डिजायर कार तथा सियाज कार से दिन व रात में गांव गांव घूम घूम कर घर के बाहर व अन्दर बन्धी बकरियों की रेकी करते हैं और सही समय देखकर हम लोग प्लान के तहत बकरियों की चोरी इन्ही दोनो कारो से कर लेते है और चुराई गयी बकरीयों को अनस की दुकान में बेच देते है जिससे प्राप्त धन को हमलोग हम लोग आपस मे पैसे बांट लेते थे । साहब, हमसे गलती हो गयी हमे माफ कर दीजिये ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व० रामचन्द्र नि० मकान सं० 14 तोपखाना बाजार थाना कैण्ट लखनऊ उम्र 33 वर्ष ।
02. शुभम धानुक पुत्र पप्पू नि० छितुआपुर पजाया , पीसीएफ बिल्डिंग , कल्याण मंडप थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र 33 वर्ष
03. अनस पुत्र इशितयाक मूल पता सूजागंज थाना रूदौली जनपद अयोध्या हाल पता किराये का मकान सेक्टर जी, डबल स्टोरी थाना आशियाना लखनऊ उम्र 22 वर्ष ।
04. विकास उर्फ नन्हके पुत्र निरंजन लाल नि० हबीरपुर , नीलमथा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 27 वर्ष ।
05. गोलू भारती पुत्र रमेश भारती नि० रिक्शा कालोनी थाना आशियाना लखनऊ उम्र 29 वर्ष ।
06. अमन रावत पुत्र अयोध्या प्रसाद नि० हमीरपुर निलमथा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र 26 वर्ष ।

05-आपराधिक इतिहास-

अनस के विरुद्ध कुल-01 अभियोग पंजीकृत हैं-

1. मु०अ०सं०- 155/2026 धारा 351(3)/352 बी०एन०एस० थाना आशियाना लखनऊ ।

विकास उर्फ नन्हके के विरुद्ध कुल-01 अभियोग पंजीकृत हैं-

1. मु०अ०सं०- 550/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ।

गोलू भारती के विरुद्ध कुल-09 अभियोग पंजीकृत हैं-

1. मु०अ०सं०- 276/2020 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना आशियाना लखनऊ ।
2. मु०अ०सं०- 338/2022 धारा 363/366 भादवि थाना आशियाना लखनऊ ।
3. मु०अ०सं०- 46/2018 धारा 379/411 भादवि थाना कैण्ट लखनऊ ।
4. मु०अ०सं०- 564/2018 धारा 379/411 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ ।
5. मु०अ०सं०- 739/2018 धारा 379/411 भादवि थाना पी.जी.आई. लखनऊ ।
6. मु०अ०सं०- 1037/2018 धारा 379/411 भादवि थाना पी.जी.आई. लखनऊ ।
7. मु०अ०सं०- 1175/2018 धारा 379/411 भादवि थाना पी.जी.आई. लखनऊ ।
8. मु०अ०सं०- 1202/2018 धारा 323/379/411/506 भादवि थाना पी.जी.आई. लखनऊ ।
9. मु०अ०सं०-405/2019 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप नि० अधि० थाना पीजीआई लखनऊ।

अमन रावत के विरुद्ध कुल-02 अभियोग पंजीकृत हैं-

1. मु०अ०सं०- 550/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ।
2. मु०अ०सं०- 554/2024 धारा 351(2)/352 बी०एन०एस० थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ।

06-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं०- 339/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बी०एन०एस० थाना मोहनलालगंज लखनऊ ।
2. मु०अ०सं०- 355/2026 धारा 303(2)/317(2) बी०एन०एस० थाना मोहनलालगंज लखनऊ ।

07-बरामदगी-

- 03 अदद बकरी
- 3300 रुपये (बकरी विक्रय से प्राप्त धनराशि)
- 02 अदद चार पहिया वाहन (घटना में प्रयुक्त)

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं.- 1762

दिनांक- 28.09.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गोमतीनगर

- क्राईम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन व थाना गोमतीनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ऑटो रिक्शा व बाईक से जा रही महिलाओं से पर्स व चेन छिनैती करने वाले 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिया गया।
- छीने गये आभूषण व मोबाइल, नकदी एवं घटना में प्रयुक्त मो0सा0 वाहन बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती निष्ठा खरे पत्नी सुनील खरे निवासिनी प्लॉट नं0 24 आरआर पैराडाइस ग्रीन ओमेगा ग्रीन अग्रोध्या रोड लखनऊ द्वारा बावत बाईक पर दो सवार लड़को द्वारा वादिनी का पिंक कलर का बैग (जिसमे सामान आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राईविंग लाईसेन्स, कैस 09 हजार रुपये, सोने की चैन, एक अंगूठी व अन्य सामान मोबाईल वीवो एक्स) खींचकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 427/2026 धारा 304(2) बीएनएस गोमतीनगर लखनऊ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री तेज कुमार शुक्ला को सुपुर्द हुयी।

उक्त अभियोग में माल मुल्जिमान की शीघ्र बरामदगी एवं घटना के त्वरित अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में क्राईम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन व थाना गोमतीनगर पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गयी जिनके द्वारा जमीनी एवं इलेक्ट्रानिक तंत्र के सहयोग एवं मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27.09.2026 को आर आर बंधा रोड थाना गोमतीनगर लखनऊ से 01 नफर अभियुक्त 1. नूर आलम पुत्र मो0 हारुन निवासी शिव विहार कालोनी बाबू कुंज बिहारी मैरिज लान के पास थाना इन्दिरा नगर लखनऊ उम्र- 20 वर्ष को गिरफ्तार एवं 01 नफर बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी व अन्य बरामदशुदा माल के बारे में पूछने पर ज्ञात हुआ कि सम्बंधित माल पूर्व में हमारे द्वारा सीतापुर रोड थाना क्षेत्र मडियांव मे एक बाईक से जा रही महिला से छिनी गयी चेन से सम्बंधित है। जिसे हम जल्द ही बेचने वाले थे। जिसके सम्बन्ध में थाना मडियांव से जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 09.09.2026 को वादी मुकदमा श्री त्रिलोक कुमार त्रिवेदी निवासी साई सिटी आईआईएम रोड थाना मडियांव लखनऊ द्वारा मु0अ0सं0 436/2026 अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस थाना मडियांव में पंजीकृत कराया है।

उपरोक्त पंजीकृत मुकदमा में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी कर अंतर्गत धारा 304(2)317(2) बीएनएस में मा0न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 427/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ
2. मु0अ0सं0 436/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त/बाल अपचारी का विवरण-

1. नूर आलम पुत्र मो0 हारुन निवासी शिव विहार कालोनी बाबू कुंज बिहारी मैरिज लान के पास थाना इन्दिरा नगर लखनऊ उम्र- 20 वर्ष
2. एक नफर बाल अपचारी

04- बरामदगी-

- 02 अदद पीली चेन के टुकड़े,
- 01 अदद पीली चेन की अंगूठी
- 01 अदद पीली धातु की टिक्की
- 01 अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन
- नकद 2500 रुपये
- घटना मे प्रयुक्त बाईक UP32RR9442

05-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

क्राईम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन	थाना गोमतीनगर पुलिस टीम
1. उ0नि0 अमर नाथ चौरसिया	1. उ0नि0 तेज कुमार शुक्ला
2. हे0 का0 संदीप पांडेय	2. उ0नि0 अनूप शुक्ला
3. का0 प्रदीप कुमार	3. उ0नि0 आनंद कुमार राय
4. का0 शिवानंद खरवार	4. का0 अंकुर चौधरी
5. का0 तरनजीत कुमार	5. का0 शुभम कुमार
6. का0 अजय यादव	6. का0 रविकांत
7. का0 राघवेन्द्र सिंह	7. का0 अर्जुन